"भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका : एक ऐतिहासिक अध्ययन (1946-1950) ई."

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वर नगर, दरभंगा

के

सामाजिक विज्ञान संकाय (इतिहास विभाग)

में

पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध- प्रारूप

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. संदीप कुमार
सहायक प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
सी. एम. कॉलेज, किला घाट, दरभंगा,
(ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा)
मोबाइल नं.- 8051796940
.

शोधार्थी

रजनीकांत कुमार
PAT Roll No. E2210051
इतिहास विभाग
(ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा)
वर्ग क्रमांक – 02
मोबाइल नं.- 8507101902

शोध परियोजना प्रारूप

1. शीर्षक :

"**भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका : एक ऐतिहासिक अध्ययन**

(1946-1950) ई."

2. प्रस्तावना :

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की एक विशेषता यह है कि इसमें जनता अपने मनोनुकूल शासन-विधान की व्यवस्था कर सकती है। पूर्ण प्रभुता सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान है उनका निर्माण जनता ने प्रायः संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधिक सभा को संविधान सभा कहा जा सकता है। स्पष्ट है कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के विकास में संविधान-सभा का अपना महत्त्व है और जहाँ भी किसी देश ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है वहाँ किसी-न-किसी रूप में संविधान-सभा की माँग अवश्य हुई है। ऐतिहासिक दृष्टि से संविधान-सभा का विचार पश्चिम में हुई रिपब्लिक क्रांतियों की उपज है। के.सी. इवेयर का कथन है, "यदि हम आधुनिक संविधानों की उत्पत्ति के विषय में खोज करें तो हमें पता चलेगा कि बिना किसी अपवाद के लगभग सभी संविधान इसी कारण निर्मित एवं स्वीकृत हुई कि लोग एक बिल्कुल ही नये प्रकार की शासन प्रणाली आरम्भ करना चाहते थे।"

भारतीय संविधान-सभा भारत के लोगों की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय आन्दोलनों की इस माँग का चरम बिन्दु थी कि भारत के संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश सरकार न करे वरन् भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करें। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ई. में यह वचन दिया था कि देश के प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित किया जायेगा। इसके विपरीत सन् 1910 ई. में लार्ड मिंटों ने भारतीय कौंसिल अधिनियम, 1909 ई. का उद्‌घाटन करते समय यह घोषणा की थी "प्रतिनिधि सरकारें भारतीय स्थिति के सर्वथा अनुपयुक्त थी।" फिर भी, चूँकि सुधारों का वचन दिये जाने पर भारत प्रथम विश्वयुद्ध में सम्मिलित हो गया था। अतः 20 अगस्त 1917 ई. को अर्ल मांटेग्यु ने यह वचन दिया कि वे स्वायत्तशासी संस्थाओं का इस दृष्टि से उत्तरोत्तर विकास करेंगे कि अन्ततः ऐसी उत्तरदायी सरकार कायम हो सके जो ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग हो। लेकिन 1919 ई. में घोषित नटिग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से भारतीय आकाक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। काग्रेस ने इन सुधारों का विधिवत् बहिष्कार किया और 1922 ई. में महात्मा गाँधी ने घोषणा की कि "स्वराज्य संसद का उपहार न होकर जनता की इच्छाओं से उत्पन्न होना चाहिए।" बाद में जब असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया तब 1924 ई. के चुनावों में कांग्रेस के कुछ सदस्य स्वराज्य पार्टी के नतृत्व में विधान सभाओं के सदस्य निर्वाचित हो गये। फरवरी, 1924 ई. में केन्द्रीय विधायिका में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं ने देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक 'गोलमेज सम्मेलन की माँग की। सर्वदलीय सम्मेलन की रिपोर्ट जो 1928 ई. की नेहरू रिपोर्ट के नाम से विख्यात है संविधान निर्माण की दिशा में भारत का पहला व्यापक प्रयास था।

26 जनवरी, 1930 ई. को भारत ने प्रभुता सम्पन्न भारतीय गणराज्य की स्थापना की शपथ ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित किया गया और आजादी का झंडा फहराया गया। इसके बाद संविधान सभा की स्थापना एक मुख्य माँग बन गई। 1934 ई. के पूर्वार्द्ध में जब 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' को ब्रिटिश संसद द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा था तब कांग्रेस ने संविधान सभा की माँग को विधिवत् प्रस्तुत किया। इस प्रकार ब्रिटिश संसद के अधिकार को चुनौती दी गई और उसका एक विकल्प प्रस्तुत किया गया। ब्रिटेन-भारत विषयक विवाद ने अब सांसद सम्राट बनाम संविधान सभा नारी को मुक्त रूप दे दिया, अतः जब सम्राट द्वारा नियुक्त 'साइमन कमीशन' की रिपोर्ट पर आधारित 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया तो कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं हुई। दिसम्बर, 1936 ई. के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सविधान-सभा के अर्थ और महत्त्व की 45 व्याख्या की गई और 1937 व् 1938 अधिवेशनों से संविधान-सभा की मांग को दोहराया गया।

1938 ई. के काग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि "एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। इसी समय महात्मा गाँधी ने कहा कि "सविधान सभा से में इस देश की साम्प्रदायिक अशांति दूर होगी और वह देश को उचित राजनीतिक दिशा प्रदान करेगी।" उन्होंने आगे कहा कि "हम एक ऐसी संविधान-सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो।" भारतीय जनता की संविधान सभा की इस मांग का बिटिश शासन द्वारा विरोध किया जाना तो स्वाभाविक ही था, देशी नरेशों और यूरोपवासियों जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों द्वारा भी इस प्रस्ताव से अपने विशेषाधिकार खतरे में पड़ते देख इसका विरोध किया गया और उदारवादियों ने इसे अति प्रजातान्त्रिक बताया। शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया किन्तु 1940 ई. में 'पाकिस्तान के प्रतिपादन के लिए दो पृथक संविधान सभाओं की मांग प्रारम्भ कर दी। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान-सभा की माँग के प्रति उदासीनता और आंशिक विरोध का मार्ग अपनाते हुए कहा था कि "एक संविधान-सभा की आवश्यकता नहीं है और 1935 ई० के अधिनियम के आधार पर कार्य किया जा सकता है।

यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की माँग को स्पष्टतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। अतः अगस्त. 1940 ई. के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि "भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 ई. की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतया स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान-सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अन्त में 1946 ई. की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया।

संविधान सभा में सच्चिदानन्द सिन्हा, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ० भीमराव अम्बेडकर, के०एम० मुंशी, गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभि सीतारमैय्या, श्रीमती दुर्गावाई, श्रीमती हंसा मेहता, ठाकुर दास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे मनीषियों का महत्तर योगदान रहा है। इनमें नेहरू और पटेल तो संविधान सभा के आत्मा थे। किसो प्रश्न पर उन दोनों में परस्पर मतभेद की स्थिति में उसके इर्द-गिर्द समर्थक एकत्रित हो जाते थे, परिणामस्वरूप संविधान सभा में बहस लम्बी चलती थी। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद अपने प्रभाव का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। एक ओर नेहरू जहाँ आदर्शवादी थे तो दूसरी ओर पटेल अनुभववादी और व्यवहारिक। डॉ० अम्बेडकर कानून के प्रकांड पंडित थे तो गोपाला स्वामी आयंगर भी बहुत योग्य और अनुभवी पुरूष थे। पटेल के प्रमुख परामर्शदाता के०एम० मुशी और वी०पी० मेनन थे तो नेहरू के परामर्शदाता कृष्णास्वामी अय्यर और, बी०एन० राव एवं के०एम० मुंशी ही थे, क्योंकि कांग्रेस दल की ओर से वे प्रारम्भ से ही इस कार्य को कर रहे थे। मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रमुख प्रवक्ता होने के कारण मौलाना आजाद को बात को बड़े ध्यान से सुना जाता था। संविधान सभा में देश के लगभग 200 से अधिक सदस्य सक्रिय रूप से बोले। उन बोलने वाले सदस्यों में महिलाएँ भी थीं।

देश के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 15 महिलाएं थी। इन महिलाओं ने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है।

1. **दक्षिणायनी वेलायुधन** संविधान सभा की इकलौती दलित महिला सदस्य थी। 1912 में जन्मी वेलायुधन, संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य भी थी। व्यक्तिगत तौर पर वे देश में किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध करती थी। वे अपने लेखों के जरिए सदैव मुखरता से बात रखना जानती थी।
2. **सरोजिनी नायडू** को भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसके पहले, वे भारत का संविधान बनाने वाली सभा का भी हिस्सा रह चुकी है। सरोजिनी नायडू ने सदैव महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई है। भारत में महिलाओं का मताधिकार दिलाने में उनका बड़ा योगदान है।
3. **बेगम क़दसिया ऐज़ाज़ रसूल** संविधान सभा की इकलौती मुस्लिम महिला थी। वे अल्पसंख्यक अधिकारों की ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थी। उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। वे अल्पसंख्यकों के लिए न्याय और समान अधिकार चाहती थी। उनका मानना था कि हिंदी को ही भारत की राष्ट्रीय भाषा माना जाना चाहिए।
4. **दुर्गाबाई देशमुख** पेशे से एक वकील थी। संविधान सभा में उन्होंने हिंदू कोड बिल के अंतर्गत, महिलाओं का संपत्ति में समान अधिकार का पक्ष रखा था। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा के मिश्रण से बनी हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात भी कही थी।

5. **हंसा जीवराज मेहता** ने संविधान सभा में महिलाओं के अधिकारों व समानता का पक्ष रखा था। उन्होंने महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार मिलने पर बल दिया था। इसके अलावा उन्होंने देश में महिलाओं को समान अधिकार देने का विषय भी उठाया था।
6. **पूर्णिमा बनर्जी** भारत की आजादी लड़ाई में सक्रियता से भाग लेने वाली महिला रही हैं। संविधान सभा में रहते हुए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में हुई बहस में अहम भूमिका निभाई थी।
7. **राजकुमारी अमृत कौर** भी संविधान सभा में शामिल 15 महिला सदस्यों में से एक थी। वे आजाद भारत की कार्यप्रणाली के निर्माण में योगदान देने वाली एक सशक्त महिला थी। वे समान नागरिक संहिता बनाने के पक्ष में थी। वे 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी।
8. **पंडित जवाहरलाल नेहरू** की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी संविधान सभा में शामिल थी। उन्होंने संविधान निर्माण की चर्चा के दौरान, महिला आरक्षण, आरक्षण, अल्पसंख्यकों के अधिकार और स्कूली शिक्षा जैसे विषयों पर अपनी बात कही थी।
9. **सुचेता कृपलानी** को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वे भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करने वाली कमेटी का हिस्सा थी।
10. **कमला चौधरी** ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के साथ-साथ, पिछड़े इलाकों की महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कार्य किये थे। उनके योगदान को देखते हुए, कमला चौधरी को संविधान सभा में स्थान दिया गया था। सभा में वे संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
11. **लीला रॉय** को नारीवादी के तौर पर जाना जाता था। उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया था। लीला रॉय भारत के विभाजन के सख्त विरोध में थी। इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था।
12. **मालती देवी** को उड़ीसा प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया था। हालांकि वे जमीनी स्तर पर बच्चों, आदिवासियों और किसानों के साथ काम करते रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भी कुछ समय बाद संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था।
13. **अम्मू स्वामीनाथन** भारत के मद्रास प्रांत से आती थी। आजादी की लड़ाई में शामिल होने के कारण, वे एक साल जेल में भी रही थी। संविधान सभा में रहते हुए, स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया था।
14. **संविधान सभा में रेणुका रे** मुख्य रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पक्षधर रही है। आजादी के पहले उन्होंने महिला श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए भी कार्य किया है। उन्होंने 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था।
15. **एनी मास्कारेन** दक्षिण भारत से आती हैं। वे भी संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में शामिल थी। मास्कारेन ने संविधान सभा में मुख्य रूप से संघवाद (Federalism) के विषय पर हुई चर्चा में भाग लिया था।

निःसन्देह भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं का अहम् योगदान रहा है। लेकिन खेद का विषय है कि इतिहासकारों ने संविधान निर्माण के पुनीत कार्य में भाग लेने वाली महिलाओं के योगदानों पर अब तक अपनी पैनी नजर नहीं डाली है, ओर न ही किसी शोध कार्य या पुस्तक की ही रचना हो सकी है। संभव है, प्रस्तावित शोध प्रबन्ध **भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका: एक ऐतिहासिक अध्ययन (1946-1950) ई.** इस दिशा में एक सफल प्रयास सिद्ध होगा।

3. पूर्व अध्ययन की समीक्षा :

भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका अविस्मरणीय रही है। फिर भी, इतिहासकारों के बीच यह विषय उपेक्षित रहा है। इस विषय पर कोई भी मानक पुस्तक अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन संविधान निर्माण के सन्दर्भ में कुछ पुस्तकें अवश्य ही लिखी गई है।

इस संदर्भ में संविधानविद् सुभाष काश्यप की पुस्तक 'हमारा संविधान" एवं 'भारत का सांवैधानिक विकास और संविधान' का उल्लेख करना नितान्त आवश्यक है। इस विषयवस्तु से संबंधित सामग्री उक्त दोनों पुस्तकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेखक ने बहुत ही संजीदगी एवं तथ्यों के अवलोकन कर इन पुस्तकों की रचना की है।

आधुनिक भारत के सुविख्यात इतिहासकार रामचन्द्र गुहा ने भी अपनी पुस्तक क्रमशः भारत : गाँधी के बाद' एवं 'भारत नेहरू के बाद में बड़े ही बारीकी से इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। इन दोनों पुस्तकों को दुनिया का विशालतम लोकतंत्र का इतिहास कहा जाता है।

विपनयन्द्र, मृदुला मुखर्जी एवं आदित्य मुखर्जी ने भी अपनी पुस्तक 'आजादी के बाद का भारत' में कुछ हद तक संविधान निर्माण पर प्रकाश डाला है।

राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना से प्रकाशित पुस्तक 'युग पुरुष देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद में भी उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित जानकारी मिलती है।

इसी तरह वागीश्वर प्रसाद सिन्हा की पुस्तक 'सच्चिदानन्द सिन्हा में भी पर्याप्त सामग्री है।

इसी कड़ी में कुमार अमरेन्द्र का अभिलेख बिहार के अंक में छपा लेख "भारत के संविधान निर्माण में बिहारियों की भूमिका एक समीक्षा" एवं विमल प्रसाद का राजेन्द्र प्रसाद एण्ड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कन्स्टीच्यूशन" इस शोध कार्य के लिए बहुमूल्य सामग्री है।

कुल मिलाकर इस शोध विषयवस्तु के ऊपर अभी तक कोई प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया गया है। प्रस्तावित शोध-प्रबन्ध इसी कमी को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।

4. शोध का उद्देश्य, महत्त्व एवं प्रासंगिकता:

प्रस्तावित शोध का उद्देश्य काफी व्यापक एवं स्पष्ट है। आज की युवा पीढ़ी को संविधान सभा के उन महिला सदस्यों की संविधान निर्माण में अदा की गयी भूमिका के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसे शोध के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण के रूप में किये गये कार्यों को सामने लाना होगा। प्रस्तावित शोध कार्य में उन

तमाम महिला व्यक्तित्वों को बड़े वस्तुनिष्ठता एवं तार्किक्ता के साथ उद्घाटित करने की भी आवश्यकता है, जिसे पूरा किया जायेगा।

1. **महिलाओं के अधिकारों और हकों का अध्ययन**: इस अध्ययन के द्वारा, महिलाओं के संविधान में उल्लेखित अधिकारों और हक्कों का प्रणालीकृत अध्ययन किया जा सकता है, जैसे उनके वोटिंग अधिकार, अधिकार एकता, शिक्षा, स्वतंत्रता आदि।
2. **महिलाओं के प्रति समाज की धार्मिक, सामाजिक, और आर्थिक दृष्टि**: इस अध्ययन के जरिए, समझा जा सकता है कि संविधान निर्माण के समय महिलाओं के प्रति समाज की धार्मिक, सामाजिक, और आर्थिक दृष्टि क्या थी।
3. **महिलाओं के अधिकारों की संरचना और संरक्षण:** इस अध्ययन के माध्यम से, महिलाओं के संविधान में उल्लेखित अधिकारों की संरचना और संरक्षण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जा सकता है, ताकि उनकी सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

5. ज्ञान के क्षेत्र में योगदान:

i. संविधान के निर्माण में महिलाओं के योगदान से सम्बन्धित नवीन जानकारी प्राप्त होगी।

ii. इस प्रस्तावित शोध से ना केवल संविधान निर्माण से संबंधित सम्पूर्ण घटना की बल्कि संविधान का प्रभावी रूप में व्याख्या भी किया जा सकता है। (संविधान निर्माताओं के उद्देश्य के अनुसार)

6. अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तावित शोध-प्रबन्ध के अन्तर्गत संविधान निर्माण में महिलाओं के भूमिका, संविधान निर्माण में भाग लेने वाली महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाएगा। संविधान निर्माण सभा में महिलाओं की उपस्थिति का भारत के सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा।

7. अद्धयन् पद्धति:

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के साथ ऐतिहासिक, तथ्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रणाली को अपनाया जायेगा। अध्ययन मूलतः प्राथमिक प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होगा। प्रस्तावित शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया जायेगा।

8. स्रोत सामग्री की उपलब्धता :

प्रस्तावित शोध प्रबंध को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों को लिया जायेगा। जो निम्न प्रकार है:-

प्राथमिक स्रोत :

मौलिक स्रोत पूर्णरूपेण सरकारी दस्तावेजों पर आधारित होगा। इसमें मूलतः अभिलेखों, संविधान विशेषज्ञों के भाषणों, साक्षात्कारों, पत्रों, भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही पुस्तिकाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।

द्वितीय स्रोत :

द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रकाशित पुस्तकों का सहारा लिया जायेगा। साथ ही तथ्यों के संकलन हेतु संसद की पुस्तकालय, अभिलेखागारों, रिकार्ड रूमों, शोध-पत्र-पत्रिकाओं, शैक्षणिक संगठनों में प्रस्तुत किये गये लेखों, अखवारों आकडे इत्यादि का भी सहारा लिया जायेगा।

9. परिकल्पना :

प्रस्तावित शोध प्रबन्ध कई परिकल्पनाओं पर तैयार किया जायेगा। कुछ प्रमुख परिकल्पनाएँ निम्नलिखित होंगी। यथा-

1.संविधान-सभा के लिए चुनी गयी महिला सदस्यों का जन सरोकार से कैसा जुडा था?

2. संविधान सभा में हुई बहसों में महिला वर्ग ने किस हद तक अपनी बातों को रखने में सफलता प्राप्त की ?

3. महिला सदस्यों ने सभा की कार्यवाही में कहाँ तक साथ दिया?

4. महिला सदस्यों ने सभा की कार्यवाही में किस ढंग से सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा संवैधानिक मुद्दे को उठा सकी? इसमें वे कहाँ तक सफल हो सकीं?

5. संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं का परिवेश तथा सोच कैसा था?

6. महिलाओं ने संविधान-सभा में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन किया?

उपरोक्त परिकल्पनाओं के अतिरिक्त और भी कई परिकल्पनाएँ विकसित की जायेगी, जिसके आधार पर संविधान सभा में महिलाओं के कार्य-कलापों का विश्लेषण होगा।

10. कार्य योजना अथवा अध्यायिकरण :

प्रस्तावित शोध-प्रबन्ध 'भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका: एक ऐतिहासिक अध्ययन (1946-1950)' निम्नांकित अध्यायों में विभक्त होगी :-

प्रथम अध्याय: प्रस्तावना शोध विधि एवं स्रोतों की समीक्षा

द्वितीय अध्याय: संविधान सभा के गठन की परिस्थितियाँ और उसमें महिला सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन

तृतीय अध्याय : संविधान सभा में उठाये गये सामाजिक एवं धार्मिक विषय पर महिला सदस्यों की प्रतिक्रिया

चतुर्थ अध्याय : संविधान सभा में उठाये गये आर्थिक मुद्दों पर हुए बहस में महिला सदस्यों की भागीदारी

पंचम अध्याय : संविधान सभा में राजनैतिक तथा संवैधानिक मुद्दों पर हुए वाद-विवाद में महिला सदस्यों की भूमिका

षष्ट अध्याय : संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली दक्षिण भारत के महिला सदस्यों का जीवन एवं कार्य

सप्तम अध्याय: संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तर भारत के महिला सदस्यों का जीवन एवं कार्य

अष्टम अध्याय : उपसंहार

11. सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची (Bibliography):

(A) **प्राथमिक सोत (Primary Sources)**

i. कस्टीच्युएंट असेम्बली डिवेट्स, जिल्द- 1-XII

ii. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एन. आई. सी. इन डिवेट, लन्दन

iii. पर्सनल ऑफ कमेटीज कांस्टीच्युएंट असेम्बली

iv. भारतीय विधान परिषद् के वाद-विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी), नयी दिल्ली,

(B) द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources):

i. ऑस्टिन, गैन्विल, द इंडियन कंस्टीच्यूशन कार्नर-स्टोन ऑफ ए नेशन, आक्सफोर्ड, 1966.

ii. आर्य, साधना, मेनन, निवेदिता, लोकनीता, जिनी (संपा.); नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे, दिल्ली, 2001

iii. काश्यप, सुभाषः हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 1996.

iv. काश्यप, सुभाष, भारत का सांविधानिक विकास और संविधान, नई दिल्ली, 1996.

कौशिक, सुशीला (सं०); भारतीय शासन एवं राजनीति, नयी दिल्ली, 1984.

vi. गुहा, रामचन्द्रः भारत गाँधी के बाद, पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, 2012

vii. गुहा रामचन्द्रः भारत नेहरू के बाद, पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, 2012

viii. गोपाल, सुरेन्द्र एवं अन्य (सं०): युग पुरुष देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना, 2008.

ix. चन्द्र, विपन, मुखर्जी, मृदुला एवं मुखर्जी, आदित्य, आजादी के बाद का भारत, दिल्ली, 2002.

X. चौधरी, वाल्मीकि, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, नैशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली. 1984.

xi. जॉस, डब्ल्यू०एच० मॉरिस, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, न्यूयार्क, 1967.

xii. जन, पुखराज एवं फाड़िया, बी०एल०, भारतीय शासन एवं राजनीति, आगरा, 2010.

xiii. मेनन, वी०पी०, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, नई दिल्ली. 1954

xiv. कुमार, राधा, स्त्री संघर्ष का इतिहास-1800-1990, 2011

xv. बंद्योपाध्याय, शेखर, पलासी से विभाजन तक और उसके बाद-आधुनिक भारत का इतिहास, 2006.

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. संदीप कुमार
सहायक प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
सी. एम. कॉलेज, किला घाट, दरभंगा,
(ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा)
मोबाइल नं.- 8051796940
.

शोधार्थी

रजनीकांत कुमार
PAT Roll No. E2210051
इतिहास विभाग
ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
वर्ग क्रमांक – 02
मोबाइल नं.- 8507101902